## दिनांक–25 जून, 2019 को बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना द्वारा आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. **उपस्थिति पत्र संलग्न :-**
2. **बैठक की कार्यवाही :-**

निर्धारित कार्यावली के अनुसार, सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत् करते हुए, नियत समय पर बैठक की कार्रवाई आरम्भ की गयी। कार्यावली के अनुसार बैठक में लिए गये निर्णयों की विवरणी निम्नवत् है :-

2.1 दिनांक 26.02.2019 को पर्षद की आहुत बैठक के कार्यवाही के बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए, उसकी संपुष्टि की गयी।

2.2 **बिहार राज्य अन्तर्गत "जैव विविधता प्रबंधन समितियों" के गठन हेतु, अन्य राज्यों में अपनाये जा रहे मॉडलों में से एक मॉडल का चयन और कार्यान्वयन** : इस संदर्भ में, बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम 16-(11) एवं नियम 25 के प्रावधानों से पर्षद सदस्यों को अवगत् कराया गया जिनमें "जैव विविधता संरक्षण समिति" के गठन की संरचना और इस संदर्भ में पर्षद की शक्तियों के विवरण हैं। इन समितियों का गठन किस प्रकार के मानव संसाधन (विभागीय संसाधनों के साथ) प्रयुक्त करके किये जाँय, इस पर देश के अलग प्रान्तों में प्रयुक्त विधियों पर सविस्तार विमर्श किये गये। पर्षद के सभी सदस्यों का एक मत निर्णय था कि संविदा पर योग्य एजेंसियों का चयन करके उक्त समितियों के गठन की कार्रवाई संपन्न की जाय। चुकि ये प्रक्रिया निकटवर्ती झारखण्ड राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा भी अपनाई जा रही है, इस लिए पर्षद सदस्यों का सुझाव था कि राँची स्थित उपर्युक्त बोर्ड कार्यालय से संपर्क करके, पूर्ण प्रक्रिया और एजेंसी के चयन हेतु Request for Proposal (RFP) प्राप्त किये जाँय और चयन की कार्रवाई संपन्न की जाय। RFP चयन के लिए पर्षद अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया।

2.3 **बजट और योजनाओं के निर्माण, प्रेषण एवं कार्यान्वयन के लिए वित्तीय शक्तियों (तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति) का निर्धारण** : इन वित्तीय शक्तियों के निर्धारण हेतु पर्षद द्वारा इस पर सहमति दी गयी कि इस हेतु एक प्रस्ताव बनाकर पर्षद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

2.4 **किसी वरीय पदाधिकारी जो समान्यतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Pay matrix Level-16 of IFS) से अन्युन स्तर से सेवा निवृत्त हों, उन्हें अस्थाई रूप से सलाहकार/परामर्शी के तौर पर मासिक भुगतान पर रख कर पर्षद के वित्तीय एवं प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का निर्माण एवं संकलन कराना** : पर्षद द्वारा यह स्वीकृति दी गयी कि किसी योग्य सेवा निवृत वन पदाधिकारी, जो उप वन संरक्षक स्तर से अन्युन हों,

विज्ञापन द्वारा आवेदन लेकर अस्थाई चयन की कार्रवाई की जाय। पर्षद द्वारा इस निमित्त अध्यक्ष, पर्षद को प्राधिकृत किया गया।

2.5 **पर्षद कार्यालय के सामग्रियों की क्रय के लिए क्रय समिति का गठन** : पर्षद द्वारा इस पर स्वीकृति दी गयी कि, पर्षद मुख्यालय कार्यालय में उपलब्ध पदाधिकारियों एवं मानव संसाधन (अध्यक्ष, सचिव एवं सेवा पर रखे गये सेवा निवृत वरीय सहायक) के साथ वन संरक्षक, मुख्यालय, अरण्य भवन की क्रय समिति गठित कर ली जाय। अध्यक्ष पर्षद को इस हेतु प्राधिकृत किया गया।

2.6 **वित्तीय वर्ष 2018-2019 एवं 2019-20 में गैर-योजना बजट से पर्षद को प्राप्त वित्तीय आवंटन एवं व्यय के विवरण** : पर्षद सदस्यों को प्रेषित की गयी कार्यावली के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय के विवरण संलग्न कर उपलब्ध कराये गये थे। बैठक में सदस्यों को अवलोकन कराया गया।

2.7 **कार्यालय उपकरणों का क्रय** : विगत् वित्तीय वर्ष के क्रम में आवश्यक कार्यालय उपकरणों के क्रय की स्वीकृति दी गयी एवं उनके विवरण, पर्षद की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

2.8 **अन्यान्य :**

I बैठक में यह निर्णय लिया गया कि, श्री ए. के. उपाध्याय, जैव विविधता विशेषज्ञ, पटना एवं श्री अरविन्दर सिंह, भा.व.से., निदेशक, औषद्यीय पादप पर्षद, पटना को भी अगली, आहुत होने वाली बैठकों में आमन्त्रित सदस्य के तौर पर भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया जाय।

II बिहार राज्य में मछलियों के जर्म प्लाज्म के अध्ययन एवं संरक्षण तथा बिहार राज्य में उपलब्ध औषद्यीय पादपों की सूची तैयार करने हेतु श्री ए. के. उपाध्याय, जैव विविधता विशेषज्ञ, पटना को पर्षद द्वारा प्राधिकृत किया गया।

पर्षद अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

25/6/19

**(ललन प्रसाद सिंह)**
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्,

25/6/19

**(एस. के. सिंह)**
अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्,